

रजिआ (1236-40 ई.):

दिल्ली के तख्त पर रजिआ के राज्यारोहण

की उनके विशेषताएँ थीं। सर्वप्रथम पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। जब तक रजिआ राजधानी में रही, उसको जनता का पूर्ण समर्थन मिला और कोई विद्रोह सम्भव नहीं हुआ। द्वितीय, वह जनता से यह समझौता कर विहासन पर बैठी थी कि जनता की प्रत्याशाएँ संतुष्ट न करने पर उसे जनता पदच्युत कर देगी। तृतीय, उसके राज्यारोहण ने इल्तुतमिश का चयन ग्लान संगत सिद्ध कर दिया। चतुर्थ, एक स्त्री को शासक के रूप में स्वीकार कर तुर्कों ने अपना पुरुषार्थ और संतुलन साबित कर दिया। पंचम, यह शासकीय विषयों में आर्थाधिकारियों की असमर्थता की ओर संकेत करता है। षष्ठम, दिल्ली की सेना, आधिकारियों तथा जनता ने रजिआ का राज्यारोहण किया था। प्रथम राजपालों ने, जो शाहिशानी शासक वर्ग थे, ऐसा अनुभव किया कि उनकी उपेक्षा की गई है। अतः प्रारंभ से ही रजिआ को उनके विरोध का सामना करना पड़ा।

रजिआ का विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया जिनमें विजामुलमुल्क जुनेदी, मलिक अलाउद्दीन खानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, मलिक ईजुद्दीन कबीर खां अजाज और मलिक ईजुद्दीन सलारी प्रमुख थे। उनका विद्रोह दबाने के लिए रजिआ ने दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे अपना शिविर लगाया। ईजुद्दीन कबीर और ईजुद्दीन कबीर खां को गुप्त रूप से अपनी ओर मिला लिया। मलिक सैफुद्दीन कुची और उसके भाई फखरुद्दीन को पकड़कर सरवा दिया। जुनेदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार रजिआ ने कुशलतापूर्वक अपने विरोधियों को कुचल दिया। अभी तक प्रांतीय अधिकारी शासक की नियुक्ति में प्रमुख हथ रखते थे, परन्तु इस विद्रोह के दमन से इस संवैधानिक परंपरा का अन्त हुआ। मिनहाज के अनुसार "लखनौती से देवल तक सारे मलिकों और अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली।"

रजिना ने पर्दा प्रथा लागू किया और पुरुषों के सत्रान 'कुबा' (कोर्ट) और 'कुलाह' (टोपी) पहनकर जनता के सामने आने लगी। अब उसने शासन का पुनर्गठन आरम्भ किया। उसने इकताओं में सेनाधरों और राज्यपालों की तथा शाही महल के अधिकारियों को नियुक्त किया। उसने इब्नेनास्रुद्दीन ऐतमीन को 'अमीरे हाजिब' तथा मलिक जमालुद्दीन चाकृत को 'अमीरे अखूर' (अखरशाला का प्रधान) नियुक्त किया। तुर्क अधिकारियों से आपसल हुए क्योंकि चाकृत अबीसीनिकाई था। ईप्सीन कबीर खां अफगान को रजिना ने लाहौर का इम्तादार नियुक्त किया। उसने विद्रोह किया पर असफल रहा और उसे इकता से हटा दिया गया।

कबीर खां के विद्रोह की असफलता और आत्मसमर्पण से स्पष्ट हो गया था कि राज्यपाल अकेले विद्रोह में सफल नहीं हो सकते थे, केवल ऐसा ही विद्रोह सफल हो सकता था जिसे दरबारी, तुर्क अधिकारी तथा प्रांतीय अधिकारी सामूहिक रूप से दिल्ली से बाहर करें। दिल्ली में नागरिकों के समर्थन के कारण रजिना का विरोध नहीं हो सकता था। ऐतमीन को रजिना ने बदायुं का 'इम्तादार' और फिर 'अमीरे हाजिब' बनाया था। इल्तुतमिश के अल्प अमीर इब्नेनास्रुद्दीन अलतूनिना को रजिना ने पहले बरन और फिर तबर हिन्द (भरिंडा) का इम्तादार नियुक्त किया था किन्तु दोनों ने रजिना के साथ विश्वासघात किया।

Continue.....

Dr. M. Paswan - History.